न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी:– हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:–28/2013

दायर दिनांक 08.03.2013

जीसीएमएस आई0डी0:–2013/00649

पण्डित जवाहर लाल नेहरू स्मृति शिक्षा प्रसार समिति, हिण्डौन सिटी, जरिये मंत्री राजीव कुमार शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा, आयु 40 साल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–पीली कोठी, रेल्वे स्टेशन के पास, हिण्डौन सिटी, जिला–करौली (राज0)।

––सायल

बनाम

1. दी स्टेट ऑफ राजस्थान, तामील जरिये जिला कलेक्टर करौली।
2. तहसीलदार हिण्डौन (लैण्ड हॉल्डर), जिला करौली (राज0)।
3. बाबूलाल पुत्र श्री गोपीलाल, आयु–82 साल, जाति–महाजन, निवासी स्टेशन रोड हिण्डौन सिटी, जिला–करौली (राज0)। (मृतक)

3/1. ओमप्रकाश
3/2 अशोक कुमार
} पिसरान बाबूलाल जाति महाजन निवासी एफ–20 मोहन नगर निवासी स्टेशन रोड हिण्डौन सिटी जिला करौली।

3/3. राजेन्द्र पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल, जाति–वैश्य, केयर ऑफ अभय एजेन्सी, बी.ओ.बी. बैंक के पास, करौली रोड, हिण्डौन सिटी, जिला–करौली (राज.)।

3/4. कृष्ण कन्हैया पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल, जाति–वैश्य, निवासी–बी–2/10 (बी–ब्लॉक), सेक्टर–2, एन.एच.–10, चित्रकूट नगर, प्रताप मार्केट के सामने, गांधी पथ, मैन रोड, वैशाली नगर, जयपुर (राज0)।

3/5. कृतिका पुत्री प्रेमदेवी पत्नि मोहनलाल, जाति–महाजन, निवासी–22ए, सैक्टर–बी, राजेन्द्र बिहार, आकाश वाणी कॉलोनी, कोटा (राज0)।

3/6. विद्यावती पुत्री स्व0 श्री बाबूलाल पत्नि कैलाश कुमार, जाति–वैश्य, निवासी–156, नरिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जिला–सवाई माधोपुर

4. घासीलाल पुत्र श्री केदारनाथ आयु 65 साल महाजन, निवासी नई मण्डी, हिण्डौसिटी, जिला–करौली (राज)।
5. छीतरमल पुत्र श्री केदारनाथ आयु–56 गाल, जाति–महाजन निवासी नई मण्डी, हिण्डौन सिटी, जिला–करौली (राज0)।
6. श्रीमती मायादेवी बेवा मनोज कुमार आयु 50 साल
7. श्रीमती रानू पुत्री मनोज कुमार आयु–25 साल
8. कु0 सानू पुत्री मनोज कुमार आयु–23 साल
9. कु0 तृप्ती पुत्री मनोज कुमार आयु 21 साल
10. आकाश पुत्र श्री मनोज कुमार आयु–19 साल

} जाति महाजन निवासी कम्बल वालो की गली, कटरा बाजार हिण्डौन सिटी

11. योगेश शर्मा पुत्र श्री भरतलाल शर्मा, आयु 30 साल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–मण्डावरा रोड हिण्डौन, तहसील–हिण्डौन, जिला–करौली।
12. राहुल वशिष्ठ पुत्र श्री मनो[illegible] ब्राह्मण, निवासी–शिव कॉलोनी, हिण्डौन सिटी, जिला–करौली।
13. राकेश जांगिड़ पुत्र स्व0 [illegible] जांगिड ब्राह्मण, निवासी–शिव कॉलोनी, हि[illegible]
14. त्रिलोक चन्द पुत्र श्री टीकमचन्द, आयु–24 साल, जाति–महाजन, नि[illegible] भायलापुरा, हिण्डौन सिटी, जिला–करौली।
15. देवेश पुत्र श्री मुकेश चन्द, आयु 20 साल, जाति–महाजन, निवासी केशवपुरा, हिण्डौन सिटी, जिला–करौली।
16. कृष्ण कुमार गोयल पुत्र श्री भगवान दास, आयु 30 साल, जाति–महाजन, निवासी–ढिढोरा, तहसील–सूरौठ, जिला–करौली।

––गैरसायलान––16

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–1. श्री रिद्धिचंद जैन वकील सायलान
2. श्री राधेश्याम शर्मा वकील गैरसायलान

निर्णय दिनांकः– 28-1-15

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर–4046 रकबा–19 बिस्वा बारानी–2 स्थित कस्बा हिण्डौन साबिक मे गोपाल पुत्र श्री मनीराम, जाति–धाकड, निवासी हिण्डौन सिटी की खातेदारी एवं कब्जेकास्त में थी, जिसमें से 11 बिस्वा भूमि अन्य आराजीयात के साथ सायल समिति ने उक्त श्री गोपाल पुत्र श्री मनीराम धाकड से दिनांक–20.01.1969 को जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र खरीद किया था, जिसका राजस्व रिकॉर्ड मे उसी समय अमल हो गया था तथा सायल समिति द्वारा खरीद किये गये रकबे का नम्बर–4946/2 कायम कर दिया गया था तथा सायल समिति उक्त आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हो गई थी। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है।

संवत–2040 के पश्चात तहसील हिण्डौन में सेटिलमेन्ट का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था, इसलिए संवत 2040 के पश्चात् समस्त राजस्व रिकॉर्ड तहसील हिण्डौन कार्यालय से सेटिलमेन्ट विभाग में भरतपुर भेज दिया गया था।

सेटिलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान आराजी साबिक खसरा नम्बर–4946/2 रकबा 11 बिस्वा तथा खसरा नम्बर–4946/1 रकबा–8 बिस्वा दोनों को मिलाकर पुनः खसरा नम्बर–4946 दर्ज कर उसका रकबा 19 बिस्वा दर्ज करके विभागीय निर्देशन के अनुसार मिलान क्षेत्रफल में नया खसरा नम्बर–1208 दर्ज कर दिया है तथा सायल समिति की खातेदारी की आराजी के खातेदारी के खाने में से सायल समिति का नाम हजफ करके उक्त भूमि की खातेदारी के खाने मे गैरसायल नम्बर–3 [illegible] 1/2 व गैरसायलान नम्बर–4 व 5 तथा उनके [illegible] माता श्रीमती किरण देवी का हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया है जो कालान्तर में गैरसायलान नम्बर–3 ता–10 के नाम दर्ज है जबकि वर्तमान खसरा नम्बर–1208 के साबिक खसरा नम्बर–4946 के रकबा 11 बिस्वा की सायल समिति खातेदार काश्तकार थी। इस प्रकार टिलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:03 IST
Reason: SelfAttested

अपनी गफलत लापरवाही व दुराचरण के कारण सायल समिति की भूमि साबिक खसरा नम्बर--4946 के रकबा 11 विश्वा की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में अन्य लोगों के नाम दर्ज कर दी है. जिससे सायल समिति के विधिक अधिकारों का हनन होता है।

सायल समिति के मंत्री को सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई उक्त भूल की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा मिलने पर समिति के मंत्री ने गैरसायल नम्बर--2 तहसीलदारजी हिण्डौन से राजस्व रिकॉर्ड में किये गये अंकन को दुरूस्त करने के लिए अनेक बार निवेदन किया, लेकिन उन्होंने इस सम्बन्ध मे न तो कोई कार्यवाही की नाही राजस्व रिकॉर्ड में कोई दुरुस्ती ही की। सायल समिति के उपाध्यक्ष गैरसायल नम्बर–2 के कार्यालय में दिनांक–23.11.2012 को स्वयं उपस्थित हुए तथा सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा की गई गलती को दुरुस्त करने के लिए निवेदन किया तो उन्होंने उक्त भूल को दुरूस्त करने के बजाय राजस्व वाद दायर करने के लिए निर्देशित कर दिया।

गैरसायलान नम्बर–3 लगायत 10 का सेटिलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान सेटिलमेन्ट ऑपरेशन के कर्मचारियों की गफलत, लापरवाही एवं दुराचरण के कारण सायल समिति के स्थान पर नये खसरा नम्बर–1208 में नाम दर्ज होने के कारण उनके मन में बदयानित आ गई है तथा वे सायल समिति की भूमि को अन्य लोगों को विक्रय कर बयनामा पंजीकृत कराने पर उतारू है। सायल समिति के उपाध्यक्ष द्वारा उनसे मना करने पर उन्होंने दिनांक–23.11.2012 को यह ऐलानिया धमकी दी है कि खसरा नम्बर–1208 की खातेदारी उनके नाम दर्ज हो गई है। इसलिए वे उक्त भूमि को अन्य लोगों को विक्रय कर क्रेतागण के नाम बयनामा करवाकर पंजीकृत करवा देंगे तथा भूमि मुतदाविया से वादी समिति को बेदखल कर तहरीर व तकमील कर क्रेतागण का कब्जा करा देंगे। यदि गैरसायलान नम्बर–3 लगायत 10 द्वारा सायल समिति की भूमि का विक्रय पत्र अन्य लोगों के नाम तहरीर व तकमील करवाकर पंजीकृत करा दिया तो सायल समिति को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है तथा अनावश्यक इसलिए प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दायर से मुकदमेबाजी बढेगी। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा करना आवश्यक हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:03 IST
Reason: SelfAttested

सायल समिति ने अपने अधिवक्ता ऋद्धि चन्द पीन एडवोकेट हिण्डौन सिटी द्वारा दिनांक–11.12.2012 को गैरसायलान नम्बर–1 लगायत 5 तथा गैरसायलान नम्बर 6 लगायत 10 के पूर्वज श्री मनोज कुमार एवं श्रीमति किरण देवी देवा श्री केदारनाथ, जाति–महाजन, निवासी हिण्डौन सिटी को अन्तर्गत धारा–80 जाब्ता दीवानी का पंजीकृत नोटिस दिलवाया, जो गैरसायलान नम्बर–1 ता–5 को प्राप्त हो गया तथा श्री मनोज कुमार एवं किरण देवी के नोटिसों पर उनकी मृत्यु हो जाने की सूचना मिली। गैरसायलान नम्बर–4 व 5 ने अपने अभिभापक श्री नरेन्द सिंह जादौन के माध्यम से उक्त नोटिस का कतई गलत उत्तर दिलवा दिया तथा गैरसायलान नम्बर–1 व 2 ने राजस्व रिकॉर्ड में ना तो सायल संस्था का नाम दर्ज किया, नाही राजस्व रिकॉर्ड की कोई एन्ट्री ही की, नाही सायल के नोटिस का कोई जबाब ही दिया।

गैरसायलान को उक्त नोटिस वादी समिति के तत्कालीन मंत्री श्री ओमप्रकाश शर्मा के निर्देशानुसार दिया गया था, लेकिन सायल समिति के वर्तमान में मंत्री श्री राजीव कुमार शर्मा है। इसलिए प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सायल समिति की ओर से सायल समिति के वर्तमान मंत्री राजीव शर्मा के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।

गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है, जबकि गैरसायलान को पाबन्द नही करने से सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में बखूबी साबित है।

दौराने प्रार्थना–पत्र गैरसायल नम्बर–3 बाबूलाल का देवयोग से दिनांक–20.08.2017 को स्वर्गवास हो चुका है, उसने अपने पीछे अपनी पुत्री प्रेमदेवी की पुत्री कृतिका तथा एक पुत्री विद्यादेवी एवं चार पुत्रगण औमप्रकाश, अशोक कुमार राजेन्द्र, कृष्ण क[illegible] है, जो मृतक के तर्फे पर काबिज है तथा मृतक [illegible] कानूनी होने के कारण जिम्मेदार नतीजा मुक[illegible] गैरसायल नम्बर–3 बाबूलाल के स्थान पर उन्हें प्रार्थना–पत्र अस्थायी नि[illegible]ज्ञा में फरीक गैरसायलान नम्बर–3/1 ता 3/6 बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:03 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैरसायलान को दौराने वाद को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजी मुतजिका मद नम्बर-2 प्रार्थना-पत्र जिसका सेटिलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियोंने अपनी गफलत व लापरवाही व दुराचरण के कारण सायल समिति की उक्त भूमि को दूसरी भूमि के साथ जोड़कर वर्तमान खसरा नम्बर-1208 कायम कर गैरसायलान नम्बर 3 लगायत 10 के नाम खातेदारी मे दर्ज कर दिया है, उस भूमि से गैरसायलान ना तो वादी को स्वयं बेदखल करे, नाही किसी अन्य के द्वारा करावे, नाही उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करे, नाही उक्त भूमि का विक्रय-पत्र किसी अन्य व्यक्ति के हक में तहरीर व तकमील करवाकर पंजीकृत करावे। सायल के उक्त भूमि के शान्तीपूर्ण उपयोग व उपभोग मे माने मजाहमत ना तो स्वयं करे, नाही किसी अन्य के द्वारा करावे। रिकॉर्ड व मौके की स्थिती यथावत बनाएँ रखे।

गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायलान न0 2 ता 6 ने स्वयं उपस्थित होकर जबाब पेश किया जो निम्नानुसार है:-

1. प्रार्थना पत्र के मद न0 1 में सायल द्वारा झूठा काल्पनिक दावा पेश होना स्वीकार है। सफलता मिलना कल्पना मात्र है।
2. प्रार्थना पत्र का मद न0 3 गलत है स्वीकार नही है।
3. प्रार्थना पत्र का मद न0 3 मे दर्ज तहसील हिण्डौन मे संवत 2040 के पश्चात सेटिलमेंट का कार्य होना स्वीकार है।
4. प्रार्थना पत्र का मद न0 4 गलत है स्वीकार नही है। सेटिलमेंट आपरेशन के दौरान आराजी साबिक खसरा न0 4946/2 रकबा 11 बिस्वा तथा खसरा न0 4946/1 रकबा 8 बिस्वा दोनो को मिला कर पुनः खसरा न0 4946 दर्ज नहीं किया गया है और नाही उक्त दोनो नंबरों का रकबा सेटिलमेंट विभाग द्वारा पुनः समेकि[illegible] 19 बिस्वा दर्ज किया है। विभागीय निर्देशन के[illegible] खसरा न0 1208 बिल्कुल सही दर्ज किया गया है। मु[illegible]क मिलान क्षेत्रफल खसरा न0 1208 रकबा 0.43 है0 साबिक खसरा न0 4946 के 8 बिस्वा रकबा व 4947 के अन्य रकबे को मिलाकर कायम किया गया है। सेटिलमेंट कर्मियों द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:03 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बर 1208 की खातेदारी के खाने में से वादी सायल का कोई नाम हजफ नहीं किया गया है क्योंकि खसरा न0 1208 जिन साबिक खसरा नम्बरों से कायम किया गया है। उक्त साविक खसरा नम्बरों की खातेदारी सायल समिति के नाम आज दिन तक कभी नहीं रही है। सेटिलमेंट कर्मियों द्वारा हाल खसरा नम्बर 1208 की खातेदारी विधि अनुसार गैरसायल न0 3 का हिस्सा 1/2 व गैरसायल संख्या 4 व 5 तथा उनके स्वर्गीय भाई मनोज कुमार एवं स्वर्गीय माता श्रीमति किरणदेवी का हिस्सा 1/2 सही कायम किया गया है। वर्तमान में खसरा न0 1208 की खातेदारी गैरसायल संख्या 4,5 व 6 ता 10 के नाम सही तौर पर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड चली आ रही है। शेष तथ्य गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है।

5. प्रार्थना पत्र का मद न0 5 गलत हैं स्वीकार नहीं है।
6. प्रार्थना पत्र का मद न0 6 गलत है स्वीकार नहीं है। गैरसायल संख्या 3 लगायत 10 का खसरा न0 1208 की खातेदारी कालम में अंकन सेटिलमेंट आपरेशन के कर्मचारियों की गफलत एवं लापरवाही एंव दुराचरण के कारण दर्ज नहीं हुई है और नाही उनके मनों में उक्त आराजी को लेकर कोई बदायांति है। गैरसायल संख्या 3 ता 10 अपनी खातेदारी एवं कब्जे की आराजी को हर प्रकार से विक्रय कर अंतरण करने के लिये विधिक रूप से अधिकार प्राप्त व्यक्ति है। सायल समिति के उपाध्यक्ष द्वारा गैरसायल संख्या 3 ता 10 से दिनांक 23.11.12 को कोई वार्तालाप इस संबंध में नहीं हुई और नाही गैरसायल संख्या 3 लगायत 10 ने उक्त दिनांक को या अन्य किसी दिन सायल समिति के उपाध्यक्ष को इस आशय की कोई धमकी नहीं दी कि खसरा न0 1208 खातेदारी उनके नाम दर्ज होने के कारण वे उक्त भूमि को अन्य लोगों को विक्रय कर क्रेतागण के नाम बयनामा तहरीर तकमील करवा कर देंगे और क्रेतागण का कब्जा करा देंगे। शेष तथ्य सायल द्वारा काल्पनिक मनगढत [illegible] किये है जो स्वीकार नहीं है। दिनांक 23.11.2012 को गैरसायल [illegible] व मनोज कुमार, किरनदेवी द्वारा सायल समिति को [illegible] आशय की धमकी दिया जाना इसलिय भी संभव नहीं है कि क्योंकि गैरसायल संख्या 6 ता 10 के पति मनोज कुमार व श्रीमति किरण देवी काफी अर्सा पूर्व यानि वर्षों पूर्व फौत हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:03 IST
Reason: SelfAttested

गये थे। उक्त तथ्य से यह प्रमाणित कि सायल समिति द्वारा दिनांक 23.11 2012 की घटना व धमकी वाली बात काल्पनिक व झूठी दर्ज की है।

7. प्रार्थना पत्र का मद न0 7 मे सायल समिति के अधिवक्ता श्री रिद्धिचंद जैन एड. हिण्डौन द्वारा दिनांक 11.12.2012 को गैरसायल संख्या 1 ता 5 व गैरसायल संख्या 6 ता 10 के पूर्वज श्री मनोज कुमार एवं श्रीमति किरण देवी निवासी हिण्डौन को अन्तर्गत धारा 80 जा.दी. का विधि विरूद्ध गलत पंजीकृत विधिक नोटिस दिलावाना स्वीकार है। उक्त विधिक नोटिस का गैरसायल स. 4 व 5 को जरिये अधिवक्ता नरेन्द्रसिंह जादौन एड. कोर्ट केम्पस श्रीमहावीरजी से वांछित समय सीमा के अंदर माकूल जवाब प्रेषित कर दिया गया था। सायल समिति द्वारा विरूद्ध गैरसायलान दरखास्त हाजा गलत तौर पर पेश किया गया है।

8. प्रार्थना पत्र का मद न0 8 गलत है स्वीकार नहीं है। सायल समिति के श्री ओमप्रकाश शर्मा कभी कोई मंत्री नहीं रहे और नाही सायल समिति के वर्तमान मंत्री राजीव कुमार शर्मा है। राजीवकुमार शर्मा को सायल समिति की ओर से दरखास्त एवं दावा पेश करने का कोई विधिक हक नहीं है।

9. प्रार्थना पत्र का मद न0 9 गलत है स्वीकार नहीं है। सायल समिति का अपूर्तनीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन किसी भी प्रकार से साबित नही है। सायल ने दर. हाजा बिल्कुल ही गलत पेश किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में, विक्रय पत्र गोपाल धाकड बनाम पंडित जवाहर लाल नेहरू की फोटो प्रति, फोटो प्रति नक्शा ट्रेस 1982, फोटो प्रति जमाबंदी संवत 2033–36, जमाबंदी संवत 2037–40 वाके कस्बा हिण्डौन कुल किता 3 फोटो मिलान क्षेत्रफल भू प्रबंध विभाग, फोटो प्रति नया नक[illegible] प्रति वर्तमान जमाबंदी संवत 2067–2070, फोटो प्रति [illegible] को दिलवाया, फोटो प्रति पोस्टल रसीद किता 7, फो[illegible] गैरसायलान 1 ता 4, फोटो प्रति रजिस्ट्री मनोज कुमार, फोटो प्रति रजिस्ट्री किरण[illegible]ी, फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2013 पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण मे उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस कथन मे वाद पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि गैरसावलान आराजी मुतजिका मद नम्बर–2 प्रार्थना–पत्र जिसका सेटिलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान सेटिलमेन्ट विभाग के कर्मचारियोंने अपनी गफलत व लापरवाही व दुराचरण के कारण सायल समिति की उक्त भूमि को दूसरी भूमि के साथ जोडकर वर्तमान खसरा नम्बर–1208 कायम कर गैरसायलान नम्बर 3 लगायत 10 के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया है, उस भूमि से गैरसायलान ना तो वादी को स्वयं बेदखल करनें, नाही किसी अन्य के द्वारा करावें, नाही उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने, नाही उक्त भूमि का विक्रय–पत्र किसी अन्य व्यक्ति के हक मे तहरीर व तकमील करवाकर पंजीकृत कराने। सायल के उक्त भूमि के शान्तीपूर्ण उपयोग व उपभोग मे माने मजाहमत ना तो स्वयं करें, नाही किसी अन्य के द्वारा कराने, रिकॉर्ड व मौके की स्थिती यथावत बनाएँ रखने का निवेदन किया। गैरसायलान वकील ने अपने बहस कथन मे जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि गैरसायल सख्या 3 लगायत 10 का खसरा न0 1208 की खातेदारी कालम में अंकन सेटिलमेंट आपरेशन के कर्मचारियो की गफलत एवं लापरवाही एंव दुराचरण के कारण दर्ज नहीं हुई है और नाही उनके मनों में उक्त आराजी को लेकर कोई बदायांति है। गैरसायल संख्या 3 ता 10 अपनी खातेदारी एवं कब्जे की आराजी को हर प्रकार से विक्रय कर अंतरण करने के लिये विधिक रूप से अधिकार प्राप्त व्यक्ति है, खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि विक्रय पत्र गोपाल धाकड बनाम पंडित जवाहर लाल नेहरू की फोटो प्रति, फोटो प्रति नक्शा ट्रैस 1982, फोटो प्रति जमाबदी संवत 2033–36 [illegible] वाके करबा हिण्डौन कुल किता 3 फोटो मिलान [illegible] प्रति, तथा नक्शा ट्रैस कस्बा हिण्डौन, फोटो प्रति वर्तमान [illegible] 2070, फोटो प्रति नोटिस सायल संस्थाऐ गैरसायल को दिलवाया, फोटो प्रति पो[illegible] रसीद किता 7, फोटो प्रति प्राप्ति रसीद गैरसायलान 1 ता 4, फोटो प्रति रजिस्ट्री मनोज कुमार, फोटो प्रति रजिस्ट्री किरण देवी, फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2013 पेश है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि सायलान द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर वाद पत्र के तथ्यों

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:03 IST
Reason: SelfAttested

के संबध में वाद में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस में साबित करने में असफल रहा है, जिससे प्रकरण में गैरसायल को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान अस्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 28/02/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 28/2/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:03 IST
Reason: SelfAttested